



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

426] नई दिल्ली, बूहुस्पतिवार, अक्टूबर 29, 1992/कार्तिक 7, 1914
6. 426] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 29, 1992/KARTIKA 7, 1914

इस भाग से भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अन्य संकलन के लिए स्वयं रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर 1992

सा. का. नि. 832 (अ):— क्यर उद्योग नियम, 1954 का संशोधन करने के ए नियमों का प्रारूप क्यर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45) की धारा 26 उपधारा (i) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) को अधिसूचना सं. सा. का. नि. 694 (अ) तारीख 0 जुलाई, 1992 के साथ भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2 खंड 3, उपखंड (i)

तारीख 30 जुलाई, 1992 में प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी अधिकारियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उसके प्रभावित होने की संभावना थी,

और उक्त प्रारूप के संबंध में उत्त अवधि के भीतर जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे,

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (i) द्वारा पद्धति शाकियों का उचोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम क्षयर उचोग (संशोधन) नियम, 1992 है।
2. क्षयर उचोग नियम, 1954 के नियम 4 के उपनियम (i) के अंक (४) में, "३" अंक के स्थान पर "६" अंक रखा जाएगा।

[फा. स. ८ (४)/१०-क्षयर]
प्रभ. वी. महापाल, संयुक्त राज्य

पाद टिप्पणी :—

अधिसूचना सा. का. नि. 2226 ता. 6 जुलाई 1954 में निम्नलिखित के नहून संशोधन किये गये हैं :

का. नि. आ. 973 तारीख 29-4-1955
 का. नि. आ. 3669 तारीख 17-12-1955
 का. नि. आ. 3983 तारीख 1-12-1955
 गा. नि. आ. 877 तारीख 9-4-1960
 का. नि. नि. 1088 तारीख 18-6-1963
 का. आ. 1744 तारीख 6-5-1967
 का. आ. 2983 तारीख 21-7-1969
 सा. का. नि. 1122 तारीख 9-7-1976
 सा. का. नि. 1588 तारीख 28-9-1976
 सा. का. नि. 2498 तारीख 30-5-1983, और
 सा. का. नि. 390(अ) तारीख 22-3-1990

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Small Scale Industries and Agro and Rural Industries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 1992

G.S.R. 832(E).—Whereas the draft of the rules to amend the Coir Industry Rules, 1954, was published as required by sub-section (1) of section 26 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953), with the notification of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Small Scale Industries & Agro and Rural Industries) No. G.S.R. 694(E), dated the 30th July, 1992 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section 3, dated the 30th July, 1992, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of 45 days from the date of the publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas no objections or suggestions were received from the public on the said draft, within the said period;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 26 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

RULES

1. These Rules may be called the Coir Industry (Amendment) Rules, 1992.
2. In the Coir Industry Rules, 1954, in rule 4, in sub-rule (1), in category (g), for the figure "3", the figure "6" shall be substituted.

[F. No. 6(4)/90-Coir]

S. B. MOHAPATRA, Lt. Secy.

NOT NOTE :

Notification SRO 2226 dated the 6th July, 1954 has been amended vide :—

SRO 973 dt. 29-04-1955

SRO 3669 dt. 17-12-1955

SRO 3983 dt. 12-12-1955

SRO 877 dt. 9-04-1960

GSR 1088 dt. 18-06-1963

SO 1744 dt. 6-05-1967

SO 2983 dt. 21-07-1969

GSR 1122 dt 9-07-1976

GSR 1588 dt. 28-09-1976

GSR 2498 dt. 30-05-1983 and

GSR 390(E) dt. 22-03-1990.